

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

अधिसूचना सं० प्र०-०१/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-१६/२०२३ २८८

/पटना, दिनांक-१८/९/२४

-:अधिसूचना:-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-१९३०० दिनांक-१३.१०.२०२३ में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, २०२३ के तहत बिहार अभियंत्रण सेवा के निम्नांकित सहायक अभियन्ता(असैनिक)(वेतन स्तर-९) को कार्यपालक अभियन्ता(असैनिक) का, उसके विहित वेतनमान(वेतन स्तर-११) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है:-

क्र० सं०	सहायक अभियन्ता का नाम/ आई०डी०/गृह जिला/जन्म तिथि /से०नि० तिथि	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (वर्ष-२०२५)	आरक्षण कोटि	वर्तमान कोटि
१	२	३	४	५
१.	श्री मनीष कुमार मंजुल/ ५१२३/पटना/ ०२.०६.१९८०/३०.०६.२०४०	१२	SC	सहायक अभियन्ता
२.	श्री रोबिन कुमार तिवारी/ C140003/धनबाद(झारखण्ड)/ ०२.०५.१९८५/३१.०५.२०४५	२१	UR	सहायक अभियन्ता
३.	श्री गजेन्द्र कुमार यादव/ C140006/पूर्वी चम्पारण/ २५.०७.१९८५/३१.०७.२०४५	२४	BC	सहायक अभियन्ता
४.	श्री प्रवेश कुमार/ C140026/कटिहार/ १८.०४.१९७७/३०.०४.२०३७	४४	EBC	सहायक अभियन्ता

२. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-१९३०० दिनांक-१३.१०.२०२३ में निहित शर्तों के अधीन है।

३. संबंधित पदाधिकारी के पदस्थापन होने तक के लिए उनके द्वारा वर्तमान धारित पद को कार्यपालक अभियन्ता(विहित वेतनमान-वेतन स्तर-११) में उत्क्रमित किया जाता है।

४. संबंधित पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यपालक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

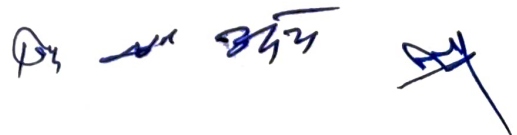
५. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, २०२३ के प्रावधानों के तहत अधिसूचना में यदि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पायी जाती है तो प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई अन्तर राशि की वसूली कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

कृ०पृ०३०



ज्ञापांक-60486099

/पटना, दिनांक-18/9/26

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनु0- यथोक्त ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-6099

/पटना, दिनांक-18/9/26

प्रतिलिपि- महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बक्सर, पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-6099

/पटना, दिनांक-18/9/26

ई-मेल प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान प्रधान/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग /पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बक्सर, पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-6099

/पटना, दिनांक-18/9/26

ई-मेल प्रतिलिपि- अभियन्ता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीक्षण अभियन्ता/सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/श्री मनीष कुमार मंजुल, प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बक्सर(अतिरिक्त प्रभार-कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बक्सर एवं रोहतास, सासाराम)/श्री रोबिन कुमार तिवारी, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, बायसी, पूर्णियाँ(अतिरिक्त प्रभार-कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पूर्णियाँ एवं कटिहार)/श्री गजेन्द्र कुमार यादव, प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर(अतिरिक्त प्रभार-कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर)/श्री प्रवेश कुमार, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, मुंगेर(अतिरिक्त प्रभार-कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुंगेर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 6099

/पटना, दिनांक- 18/9/26

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 6099

/पटना, दिनांक- 18/9/26

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही सी0डी0 तैयार कर प्रेषण शाखा को उपलब्ध कराया जाय ।

सरकार के अपर सचिव ।

पदि 28.10.26